

## शुद्धि पत्र

कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दि० 8.6.17  
द्वारा परिचालन विभाग के गाड़ी लिपिक वर्ग में 33/37 कोटे  
के तहत 05 पदों को भरे जाने हेतु जारी की गई थी, जिसमें अधिसूचना  
जारी होने की तिथि तक 03 वर्ष निर्धारित होने के कारण अधिसूचना  
को रोकने कोर्ट द्वारा जारी फाकट ई (एन.जी.) 1-2015/सी.एच.पी. 18 दि०  
21.4.2017/8.5.2017 द्वारा 02 वर्ष निर्धारित होने का निर्णय देकर  
निषेधित है। शेष शर्तें पूर्णतः रहेंगी।

शुद्धि मंडल रेल प्रबन्धक (का.)  
वाराणसी

सं० कार्यालय/254/गाड़ी लिपिक/33/37/कोटे. दि० 16.6.2017  
परिलिपि अधिसूचना एवं आवश्यक आवेदन हेतु प्रेषित:-

1. वरपरिपत्र, मपरिपत्र, समपरिपत्र/वाराणसी
2. एमो स्टैचरी; यानि. वाराणसी मंडल
3. मुख्य गाड़ी निरीक्षक/एन-ट्रोल/वाराणसी
4. कु. कार्यालय/एम.पी.पी. सेल/वाराणसी
5. मंडल मंत्री/गश्त, राजा. राजा. एसे. वाराणसी

16/6/17  
शुद्धि मंडल रेल प्रबन्धक (का.)  
वाराणसी